12.7.18. वादी अधिवक्ता उप० पैरोकार स्वयं
उप० सुना। पत्रा० का अवलोकन किया।
पृथक से निर्णय लिखवाया जाकर
सुनाया, निर्णय अनुसार वादी का
वाद इस प्रकार डिक्री किया कि विवादित
आराजियात ख०न० 1946/1885/0.2300, 1949/115
/0.3800, 396/01.1100, 488/0.2700, 517/0.0800
1568/0.1900, 1259/0.3300, 673/0.1400
1475/0.1800, 1258/0.4300 हैक्टर वाके ग्राम
पंजीकृत तह कोटकासिम व ख०न० 251/0.0600
306/0.1000, 310/0.0900, 207/0.1500, 224/0.1700
235/0.1320 हैक्ट० वाके ग्राम नंगली आलापुर
कोटकासिम में वादी का नाम दर्ज किया जावे ...
... राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। पक्षकारान को सूचित किया जावे।
पत्रा० नियमानुसार ... जमा हो।
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 160/18
दायर दिनांक 26.06.218

निर्णय दिनांक 14/07/2018

उनवान

1. होश्यार उर्फ गगनराम पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट निवासी ग्राम नंगलीजाटान तहसील कोटकासिम जिला– अलवर (राजस्थान)

–वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0

–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भगवान यादव अभिभाषक वादी
2. तहसीलदार कोटकासिम परोकार सरकार

वादी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक वाद इस कदर पेश किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1946/1885/0.2300 हैक्टयर मुताबिक खाता सं0 337, आराजी हाल खसरा नम्बर 1949/115/0.3800 हैक्टयर मुताबिक खाता सं0 538, आराजी हाल खसरा नम्बरान 396/0.1100, 488/0.2700, 517/0.0800, 1568/0.1900 हैक्टयर मुताबिक खाता सं0 539, आराजी हाल खसरा नम्बर 1259/0.3300 हैक्टयर मुताबिक खाता संख्या 5400 व आराजीयात हाल खसरा नम्बर 673/0.1400, 1475/0.1800 हैक्टयर मुताबिक खाता संख्या 541, आराजी हाल खसरा नम्बर 1256/0.4300 हैक्टयर मुताबिक खाता संख्या 542, वाके ग्राम पतलिया व आराजी हाल खसरा नम्बरान 251/0.0600, 306/0.0900 हैक्टयर मुताबिक खाता संख्या 103 व आराजी हाल खसरा नम्बरान 207/0.1500, 224/0.1700, 235/0.1300 हैक्टयर मुताबिक खाता संख्या 104 व आराजी हाल खसरा नम्बर 160/0.1900, 190/0.1600, 206/0.1400, 223/0.1800, 313/0.1000 हैक्टयर मुताबिक खाता संख्या 105 वाके ग्राम नंगलीजाटान तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है। जो कि इस वादपत्र में विवादित आराजीयात कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 व नकल परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड मतदाता पहचानपत्र डिस्चार्ड बुक, पेनकार्ड की फोटो प्रतियां व सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांकित 21/06/2018 संलग्न वादपत्र है। विवादित आराजीयात मिन वादी व अन्य सहखातेदारी काश्तकारो की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात है। जिस पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो रहा है। विवादित आराजी की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के मुताबिक खाता सं0 337 वाके ग्राम पतलिया में मिन वादी का नाम गगन पुत्र श्री रामजीलाल व विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 538, 539, 540, 541, 542 वाके ग्राम पतलिया में मिन वादी का नाम होश्यार पुत्र श्री रामजीलाल दर्ज है व विवादित आराजी की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के मुताबिक खाता 103, 104, 105 वाके ग्राम नंगलीजाटान

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

ल दर्ज है एवं मिन वादी के नाम से बना हुआ आधार कार्ड, परिवारराशनकार्ड, पेन कार्ड , डिस्चार्ड बुक मिन वादी का नाम गगनराम पुत्र श्री रामजीलाल व मिन वादी के नाम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पत्र में मिन वादी का नाम होश्यार पुत्र श्री रामजीलाल ये दोनो नामो से जाना व पहचान जाता है। मिन दिनांक 19.06.18 को हल्का पटवारी के पास नकल जमाबंदी वास्ते बनवाने किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिये या तो उक्त इन्द्राजात गगनराम पुत्र श्री रामजीलाल व होश्यार पुत्र श्री रामजीलाल के नाम का मालूम पडा। विवादित आराजीयात की जमाबंदी मे मिन वादी का नाम कही में गगनराम पुत्र रामजीलाल व कही होश्यार पुत्र श्री रामजीलाल का अमल रहने से मिन वादी अपने हिस्से की आराजीयात का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नही कर पा रहा हूँ, ना बैक आदि में बन्धक कर विस्तार कर पा रहा हूँ। इसलिये मिन वादी विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के मुताबिक खाता सं0 337 वाके ग्राम पतलिया में मिन वादी अपना नाम होश्यार उर्फ गगनराम पुत्र श्री रामजीलाल व विवादित आराजी मुताबिक खाता सं0 538, 539, 540, 541, 542 वाके ग्राम पतलिया में मिन वादी अपना नाम होश्यार उर्फ गगनराम पुत्र श्री रामजीलाल व विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के खाता संख्या 103, 104, 105, में मिन वादी अपना नाम होश्यार उर्फ गगनराम दर्ज करवाने का अधिकारी हूँ। जिसके लिये मिन वादी को यह दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि विवादित आराजीयात में वादी का नाम गगनराम पुत्र रामजीलाल जो दस्तावेजात में अंकित है एवं होश्यार पुत्र रामजीलाल जमाबन्दीयात ग्राम पतलिया व ग्राम नंगलजाटान में अंकित है जिसे दुरूस्त कर होश्यार उर्फ गगनराम पुत्र रामजीलाल दर्ज किया जावे ।

विद्वांन अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात पर गौर किया गया। वादी अधिवक्ता का कथन है कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम पतलिया व नंगलीजाटान की जमाबन्दीयात में वादी का नाम होश्यार सिंह पुत्र रामजीलाल व गगन पुत्र रामजीलाल दोनो ही नाम दर्ज है। जबकी वादी के दस्तावेजात राशनकार्ड, आधारकार्ड, पैनकार्ड, सर्वीस डिस्चार्ज बुक में गगनराम पुत्र रामजीलाल दर्ज है एवं सरपंच ग्राम पंचायत पतलिया द्वारा जारी प्रमाणपत्र में अंकित किया है कि होश्यार और गगनराम को में अच्छी तरह से जानता हूँ ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। वादी के कथन से हम सहमत है। इसलिए दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1946/1885/0.2300 ,1949/115/0.3800, 396/0.1100, 488/0.2700, 517/0.0800, 1568/0.1900, 1259/0.3300, 673/0.1400, 1475/0.1800, 1256/0.4300 हैक्टयर वाके ग्राम पतलिया तहसील कोटकासिम एवं हाल खसरा नम्बर 251/0.0600, 306/0.1000, 310/0.0900, 207/0.1500, 224/0.1700, 235/0.1300 , 160/0.1900, 190/0.1600, 204/0.1300, 206/0.1400, 223/0.1800, 313/0.1000 हैक्टयर वाके ग्राम नंगलीजाटान तहसील कोटकासिम में वादी का नाम होश्यार सिंह उर्फ गगनराम पुत्र रामजीलाल दर्ज किया जावे । इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो । तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज०

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

(पर्चा डिक्री)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मा संख्या 160/18
यर दिनांक 26.06.218

निर्णय दिनांक 12/07/2018

उनवान

1. होश्यार उर्फ गगनराम पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट निवासी ग्राम नंगलीजाटान तहसील कोटकासिम जिला– अलवर (राजस्थान)

–वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला–अलवर राज0

–प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री भगवान यादव अभिभाषक वादी
2. तहसीलदार कोटकासिम परोकार सरकार

अतः वादी का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1946/1885/0.2300 ,1949/115/0.3800, 396/0.1100, 488/0.2700, 517/0.0800, 1568/0.1900, 1259/0.3300, 673/0.1400, 1475/0.1800, 1256/0.4300 हैक्टयर वाके ग्राम पतलिया तहसील कोटकासिम एवं हाल खसरा नम्बर 251/0.0600, 306/0.1000, 310/0.0900, 207/0.1500, 224/0.1700, 235/0.1300 , 160/0.1900, 190/0.1600, 204/0.1300, 206/0.1400, 223/0.1800, 313/0.1000 हैक्टयर वाके ग्राम नंगलीजाटान तहसील कोटकासिम में वादी का नाम होश्यार सिंह उर्फ गगनराम पुत्र रामजीलाल दर्ज किया जावे । इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो । तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner